न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

[illegible] — तारीख दायरा [illegible] — तारीख फैसला 16-9-2025

पीठासीन अधिकारी [illegible] (आर.ए.एस.)

उनवान

राजाराम उर्फ राजेन्द्र कुमार आत्मज पन्नालाल जाति मीणा निवासी [illegible] तहसील दीगोद जिला कोटा **(वादी)**

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री [illegible] एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट बाबत नाम दुरूस्ती

निर्णय :-

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न कथन पेश किया है

1. यह कि ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] भू.अभि. निरी. बमोरी तहसील दीगोद में खाता नं. [illegible] पर खसरा नम्बर 547 की 1.82 हेक्टेयर खसरा नम्बर 71 की 1.71 हेक्टेयर खसरा नम्बर 76 की 0.17 हेक्टेयर कुल तीन किता की 3.70 हेक्टेयर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि वादी के शामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें वादी का 3/16 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल पेश है जी।

2. यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बोलता नाम राजाराम अंकित है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिता पन्ना जी के खाते में दर्ज थी पिता की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजाराम दर्ज हो गया।

3. यह कि वादी के आधार कार्ड जन आधार कार्ड वोटर आई डी कार्ड बैंक पास बुक आदि सभी जगह वादी का नाम राजेन्द्र कुमार अंकित है।

4. यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजाराम दर्ज होने के कारण वादी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगा।

5. यह कि उक्त कारण से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजाराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार अंकित करना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 4-3-2025 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

6. यह कि वाद कारण प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजाराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज करने से दिनांक 4-3-2025 को उपरोक्त प्रकार से दुरूस्ती करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अतः वाद प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिग्री पारित की जाये कि

1 ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद के खाता नं0 107 पर खसरा नम्बर 547 की 1–62 हेक्टर, खसरा नम्बर 71 की 1–71 हेक्टर, खसरा नम्बर 75 की 0–37 हेक्टर कुल तीन किता की 3–70 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजाराम के स्थान पर राजेन्द्रकुमार दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– यह कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर रिपोर्ट न्यायालय मे भिजवाये ।

3– यह कि अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे ।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2073–2076 ग्राम दरबीजी खा सं0नया 107
2. प्रशासक ग्राम पंचायत सारोला पं0स0 सुल्तानपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र
3. नकल आधार कार्ड तथा जनाधार कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया। पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में स्वंय वादी राजाराम उर्फ राजेन्द्र कुमार आत्मज धन्नालाल जाति मीण निवासी दरबीजी तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादी का नाम राजाराम के स्थान पर राजाराम उर्फ राजेन्द्र कुमार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद के खाता नं0 107 पर खसरा नम्बर 547 की 1–62 हेक्टर, खसरा नम्बर 71 की 1–71 हेक्टर, खसरा नम्बर 75 की 0–37 हेक्टर कुल तीन किता की 3–70 हेक्टर भूमि में वादी का नाम राजाराम के स्थान पर राजाराम उर्फ राजेन्द्र कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/9/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— राजाराम उर्फ राजेन्द्र कमार आत्मज धन्नालाल जाति मीणा निवासी दरबीजी तहसील दीगोद जिला कोटा (वादी)

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती
मिसल न0 33/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि — वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद के खाता नं0 107 पर खसरा नम्बर 547 की 1—62 हेक्टर, खसरा नम्बर 71 की 1—71 हेक्टर, खसरा नम्बर 75 की 0—37 हेक्टर कुल तीन किता की 3—70 हेक्टर भूमि में वादी का नाम राजाराम के स्थान पर राजाराम उर्फ राजेन्द्र कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक् निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 16/9/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)